

कार्यालय

पत्रांक: रिनु०/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-18(58)/**७५**
सेवा मे,

उपनिदेशक

प्रबन्धक / स्वामी,
मैसर्स एम०बी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल,
प्लाट न०-31, सेक्टर नॉलेज पार्क-01, ग्रेटर नौएडा,
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

फायर सर्विस

मेरठ / सहारनपुर

परिक्षेत्र।

दिनांक: जनवरी **३०**

2018,

विषय: मैसर्स एम०बी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल, द्वारा प्लाट न०-31, सेक्टर नॉलेज पार्क-01, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2018-2019 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी: 2018/40076/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/8086/डी०डी०
महोदय,

कृपया आपके अनुरोध पर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा श्री मतलूब हुसैन द्वारा किया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 24-01-2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-12-2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-
प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- स-28/सीएफओ/जीबीएन-12(जीएन) / 1775 दिनांक: 07-09-2012।
भवन की संरचना:-

- 1-कुल प्लाट एरिया:- 17,000.00 वर्ग मी०।
- 2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया- 878.00 वर्ग मी०।
- 3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया- 871.00 वर्ग मी०।
- 4-भवन की ऊँचाई:- 07.50 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैर्जार्डस विवरण:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2005 की एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दांचागत व्यवस्थाएँ:-

1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौड़ाई 24.00 मी० मानकों के अनुसार है। तथा प्रवेश/निकास द्वारा जिसकी चौड़ाई 04.50 मी० मानकों के अनुसार उपलब्ध है।

2-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक अग्रभाग-12.00 मी० एवं शेष तीन और 09-09 मी० पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उपलब्ध है। जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमत्य नहीं होगी। सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।

3-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 02 अद्द स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 मी० प्रत्येक उपलब्ध है। तथा निकास मार्गों को सदैव नेव्युरल/वेन्टीलेटिड रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा समस्त रथानां से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित बी०आई०एस०-3844 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:-

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक व्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये।

2-होजरील/डाउनकमर:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

4-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

5-भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

6-फायर पम्प:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

7-वेटराईजर:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

(निदेशक का यात्रा प्रमाणिक)

(परिक्षेत्र का यात्रा प्रमाणिक)